

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

प्रकरण सं० 142

दायर दिनांक 15-10-2019

रजीराम पुत्र श्री देवाराम जाति सिध साकिन ऐटा तहसील सूरतगढ

----- वादी

बनाम

- 1-पन्नाराम पुत्र श्री गोपालराम
- 2- भागीरथ पुत्र श्री गोपालराम
- 3-जगदीश पुत्र श्री गोपालराम
- 4- कृष्ण पुत्र श्री गोपालराम
- 5- मुखराम पुत्र श्री जगूराम
- 6-शंकर पुत्र श्री जगूराम
- 7- मदन पुत्र श्री जगूराम
- 8- हनुमान पुत्र श्री हरीराम
- 9-हरचन्द पुत्र श्री देवाराम जाति सिध साकिन ऐटा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
- 10-शाखा प्रबन्धक आई सी आई सी आई बैंक शाखा सूरतगढ ।
- 11- शाखा प्रबन्धक एक्सेस बैंक शाखा रावतसर
- 12-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

अकवाम जाट सिध साकिनान कालूसर तहसील

सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज०

----- प्रतिवादीगण



वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्त० अधि० 1955

उपस्थित :-


- 1- राजवीर भादू अभिभाषक वादी ।
- 2- रामनारायण जालप प्रतिवादी नं० 1 ता 3 ।
- 3- पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

:- निर्णय :-


दिनांक :- 20/07/2020

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादी , अभिभाषक प्रतिवादी नं० 1 ता 3 एवं पैरोकार राज उपस्थित । उभय पक्षो को सुना गया । प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम / चक कालूसर की जमाबन्दी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 66 के खसरा नं० 228/69 में 17.912 हे० एवं खसरा नं० 382/123 में 2.631 हे० कुल

---2 पर लगातार

  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ


तादादी 20.543 हे० भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है । जिसमें पन्नाराम - भागीरथ - जगदीश - कृष्ण पिसरान श्री गोपालराम 3.466 हे० बहिस्सा बराबर जाति सिध गोदारा , मुखराम - शंकर - मदन पिसरान जगूराम जाति जाट सिध 3.453 हे० साकिन देह , हनुमान वल्द हरीराम जाति सिद्ध साकिन कालूसर 3.466 हे० रजीराम वल्द देवाराम 5.566 हे० , हरचन्द वल्द देवाराम 4.820 हे० सा० ऐटा खातेदार भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । रोही कालूसर की गिरदावरी सम्वत 2026-2029 के अनुरूप प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक रिकार्ड सावता पि०मु० गोगदान निस्फ , हजारी, खेता, सदासुख पि० जीवन बहिब निस्फ कोम ढाढी मुसलमान साकिन ऐटा खातेदार दर्ज था जिसमें खसरा नं० 69 में 14 बिस्वा व ख० नं० 123 में 4 बिस्वा गै०मु० रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज था । मुताबिक रिकार्ड सही दर्ज था । वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 9 के नाम जमाबन्दी सम्वत 2042 बनते समय सहवन से उक्त खाता में गै०मु० रास्ता के रकबा भी हिस्सो में हरजी खेता पि० जीवन 548 हिस्सा , मु० चन्दकोरी बेवा सदासुख , मांगीलाल , दलीप पि० सदासुख जाति ढाढी मुसलमान 273 हि० रजीराम पुत्र देवाराम जाति सिध 440 हि० हरचन्द पुत्र देवाराम जाति सिध 381 हि. सा. ऐटा खातेदार प्रविष्टि दर्ज हो गयी । सम्वत 2042 की जमाबन्दी से लेकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड भी जमाबन्दी के अनुरूप चलता रहा जिसके कारण उक्त खाते का सही इन्द्राज हिस्सा कस्सी में नहीं हो सका जो कि पूर्व की गिरदावरी अनुरूप दर्ज होना चाहिए था । राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना डी आई एल आर एम पी के तहत तहसील रिकार्ड को ऑन लाईन करने हेतु जमाबन्दी सेग्रीगेशन का कार्य चल रहा है । जिसके तहत खाते को शुद्ध किया जाना आवश्यक है । जिसमें मुझ वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 9 के नाम दर्ज गै०मु० रास्ता की भूमि होने से हिस्सा कस्सी का रकबा कुल रकबे से अधिक दर्ज हो गया जबकी वादी के नाम 5.566 हे० के स्थान पर 5.505 हे० व प्रतिवादी 1 ता 4 के नाम दर्ज 3.466 हे० के स्थान पर 3.428 हे० , प्रतिवादी सं० 5 ता 7 के नाम दर्ज 3.453 हे० के स्थान पर 3.415 हे० प्रतिवादी सं० 8 के नाम 3.466 हे० के स्थान पर 3.428 हे० तथा प्रतिवादी सं० 9 के नाम 4.820 हे० के स्थान पर 4.767 हे० भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी भुमि का अनुतोष प्रदान किया जाकर डिक्री किया जावे ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
धरतगढ़

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया । प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । समन तामिल आने के पश्चात प्रतिवादी नं० 1 व 3 की तरफ से विद्वान अभिभाषक रामनारायण जालप तथा 4 ता 9 स्वयं हाजिर होकर जबाब पेश किया । इसके पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गई । जिसमें वादी के अभिभाषक ने वाद-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रोही कालूसर की जमाबन्दी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 66 के खसरा नं० 228/69 में 17.912 हे० एवं खसरा नं० 382/123 में 2.631 हे० कुल तादारी 20.543 हे० भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है । जिसमें पन्नाराम - भागीरथ - जगदीश - कृष्ण पिसरान श्री गोपालराम 3.466 हे० बहिस्सा बराबर जाति सिध गोदारा , मुखराम - शंकर - मदन पिसरान जगूराम जाति जाट सिध 3.453 हे० साकिन देह , हनुमान वल्द हरीराम जाति सिद्ध साकिन कालूसर 3.466 हे० रजीराम वल्द देवाराम 5.566 हे० , हरचन्द वल्द देवाराम 4.820 हे० सा० ऐटा खातेदार भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । अंकित रकबा पूर्व में गिरदावरी सम्वत 2026-2029 के अनुरूप प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक रिकार्ड सावता पि०मु० गोगदान निस्फ , हजारी, खेता, सदासुख पि० जीवण बहिब निस्फ कोम ढाढी मुसलमान साकिन ऐटा खातेदार दर्ज था जिसमें खसरा नं० 69 में 14 बिस्वा व ख० नं० 123 में 4 बिस्वा गै०मु० रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज था । मुताबिक रिकार्ड सही दर्ज था । वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 9 के नाम जमाबन्दी सम्वत 2042 बनते समय सहवन से उक्त खाता में गै०मु० रास्ता के रकबा भी हिस्सो में हरजी खेता पि० जीवण 548 हिस्सा , मु० चन्दकोरी बेवा सदासुख , मांगीलाल , दलीप पि० सदासुख जाति ढाढी मुसलमान 273 हि० रजीराम पुत्र देवाराम जाति सिध 440 हि० हरचन्द पुत्र देवाराम जाति सिध 381 हि. सा. ऐटा खातेदार प्रविष्टि दर्ज हो गयी । सम्वत 2042 की जमाबन्दी से लेकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड भी जमाबन्दी के अनुरूप चलता रहा जिसके कारण उक्त खाते का सही इन्द्राज हिस्सा कस्सी में नही हो सका जो कि पूर्व की गिरदावरी अनुरूप दर्ज होना चाहिए था । जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम हिस्सा कस्सी दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया । प्रतिवादीगण नं० 1 ता 3 के अभिभाषक ने भी उक्त तथ्यों का समर्थन किया ।

बहस सुनने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन व मनन किया गया । रोही कालूसर का रकबा पेरा नं० 2 में अंकित रकबा पूर्व में गिरदावरी सम्वत 2026-2029 के अनुरूप प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक रिकार्ड सावता पि०मु० गोगदान निस्फ , हजारी, खेता, सदासुख पि० जीवण बहिब निस्फ कोम ढाढी मुसलमान साकिन ऐटा खातेदार दर्ज था जिसमें खसरा नं० 69 में 14 बिस्वा व ख० नं० 123 में

—4 पर लगातार


  
उपखण्ड अधिकारी  
सुरतगढ़



4 बिस्वा गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज था । मुताबिक रिकार्ड सही दर्ज था । वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 9 के नाम जमाबन्दी सम्बत 2042 बनते समय सहवन से उक्त खाता में गै0मु0 रास्ता के रकबा भी हिस्सो में हरजी खेता पि0 जीवण 548 हिस्सा , मु0 चन्दकोरी बेवा सदासुख , मांगीलाल , दलीप पि0 सदासुख जाति ढाढी मुसलमान 273 हि0 रजीराम पुत्र देवाराम जाति सिध 440 हि0 हरचन्द पुत्र देवाराम जाति सिध 381 हि. सा. ऐटा खातेदार प्रविष्टि दर्ज हो गयी । सम्बत 2042 की जमाबन्दी से लेकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड भी जमाबन्दी के अनुरूप चलता रहा जिसके कारण उक्त खाते का सही इन्द्राज हिस्सा कस्सी में नहीं हो सका जो कि पूर्व की गिरदावरी अनुरूप दर्ज होना चाहिए था । वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 9 के नाम दर्ज गै0मु0 रास्ता की भूमि होने से हिस्सा कस्सी का रकबा कुल रकबे से अधिक दर्ज हो गया जबकी वादी के नाम 5.566 हे0 के स्थान पर 5.505 हे0 व प्रतिवादी 1 ता 4 के नाम दर्ज 3.466 हे0 के स्थान पर 3.428 हे0 , प्रतिवादी सं0 5 ता 7 के नाम दर्ज 3.453 हे0 के स्थान पर 3.415 हे0 प्रतिवादी सं0 8 के नाम 3.466 हे0 के स्थान पर 3.428 हे0 तथा प्रतिवादी सं0 9 के नाम 4.820 हे स्थान पर 4.767 हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी भुमि दर्ज किया जाना उचित समझते है ।

उक्त विवेचन अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाकर रोही कालूसर के जमाबन्दी सम्बत 2069 ता 2072 के खाता सं0 66 में वादी के नाम 5.505 हे0 व प्रतिवादी 1 ता 4 के नाम 3.428 हे0 , प्रतिवादी सं0 5 ता 7 के नाम 3.415 हे0 प्रतिवादी सं0 8 के नाम 3.428 हे0 तथा प्रतिवादी सं0 9 के नाम 4.767 हे0 भूमि के खातेदार कृषक घोषित किये जाता है । यदि किसी खातेदार का हिस्सा किसी वितिय संस्था के रहन है तो सम्बन्धित खातेदार के नाम रखा जावे । पर्चा डिक्री जारी हो । खर्चा पक्षकार अपना -2 वहन करे । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28-07-2020 को खुले न्यायालय में सनाया गया ।

  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़  
(राजस्व) सूरतगढ़

(आदेश 21 रूल 6.7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकदम इश्तदाई

अदालत -सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर  
जिलास - श्री मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

अनवान :

रजीराम पुत्र श्री देवाराम जाति सिध साकिन ऐटा तहसील सूरतगढ

----- वादी

बनाम

- 1-पन्नाराम पुत्र श्री गोपालराम
- 2- भागीरथ पुत्र श्री गोपालराम
- 3-जगदीश पुत्र श्री गोपालराम
- 4- कृष्ण पुत्र श्री गोपालराम
- 5- मुखराम पुत्र श्री जगूराम
- 6-शंकर पुत्र श्री जगूराम
- 7- मदन पुत्र श्री जगूराम
- 8- हनुमान पुत्र श्री हरीराम

अकवाम जाट सिध साकिनान कालूसर तहसील

सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

- 9-हरचन्द पुत्र श्री देवाराम जाति सिध साकिन ऐटा तहसील सूरतगढ जिलाश्री गंगानगर
- 10-शाखा प्रबन्धक आई सी आई सी आई बैंक शाखा सूरतगढ ।
- 11- शाखा प्रबन्धक एक्सेस बैंक शाखा रावतसर
- 12-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

----- प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 142 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वारते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी राजवीर भादू,प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के अभिभाषक रामनारायण जालप एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :-

रोही कालूसर के जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता सं0 66 में वादी के नाम 5.505 हे0 व प्रतिवादी 1 ता 4 के नाम 3.428 हे0 , प्रतिवादी सं0 5 ता 7 के नाम 3.415 हे0 प्रतिवादी सं0 8 के नाम 3.428 हे0 तथा प्रतिवादी सं0 9 के नाम 4.767 हे0 भूमि के खातेदार कृषक घोषित दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

नोज .....X.....मुबलिंग .....X.....बाबत .....X.....खर्चा, इस मुकदमें में मय सूद बशहर .....X.....फसदो की पालना.....X.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28-07-2020 को जारी की गई ।

  
**सहायक कलक्टर**  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
सूरतगढ ( श्रीगंगानगर)

